



E-mail: director.cs@nsc.gov.in
Phone: 01498-261261 & 261202
Phone & FAX: 01498-261233

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम—मिनीरत्न कम्पनी)
NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)
CIN: U74899DL1963PLC003913
ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004
Website: www.indiaseeds.com

केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर :: जिला श्रीगंगानगर (राज0)

मुख्यालय: बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-12

पत्रांक: के.रा.फा./ जैत./सुरक्षा/37 पार्ट-3/2015-16 दिनांक 19 नवम्बर, 2015

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड की ईकाई केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर, जिला-श्रीगंगानगर (राज0) के पाँच सुरक्षा खण्डों, जिसमें तारबन्दी के अंदर व तारबन्दी के बाहर के क्षेत्र में वर्ष 2015-16 में फसलों तथा फेन्सिंग गेट जिन पर चौबीस घण्टे सुरक्षा गार्ड लगाने होंगे तथा समस्त चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा कार्य हेतु तकनीकी व वित्तीय निविदा, सीलबन्द लिफाफे में दिनांक 10.12.2015 को अपराह्न दो बजे तक आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाओं को उसी दिन साय: तीन बजे खोली जायेंगी। दिनांक 10.12.2015 को उचित दरें प्राप्त नहीं होने पर पुनः तकनीकी व वित्तीय निविदायें दिनांक 14.12.2015 व 17.12.2015 को पूर्व निर्धारित समय तक स्वीकार की जायेंगी, जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी। ठेके की कार्य अवधि एक वर्ष तक होगी, जिसे आवश्यकता अनुसार घटाया व बढ़ाया जा सकता है। निविदा में भाग लेने से पूर्व धरोहर राशि के रूप में अखरे रु0 50,000/- (रुपयें पचास हजार मात्र) का बैंक डिमाण्ड ड्रॉफ्ट जो कि नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला (IFSC कोड नं0 SBIN0008251) पर देय हो, निविदा के साथ जमा/संलग्न करना होगा। असफल निविदादाता की धरोहर राशि चैक द्वारा वापस की जायेगी एवं सफल निविदादाता की धरोहर राशि कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। किसी भी प्रकार का टैक्स जो देय होगा उसे सुरक्षा ठेकेदार वहन करेगा। निविदा प्रपत्र एवं नियम व शर्तें रुपये 114/- जमा करवाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में सुबह 10 बजे से साय: 05 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं व निगम की वेबसाइट indiaseeds.com पर निविदा सम्बन्धी सूचना देखी जा सकती है। सुरक्षा ठेका लेने के लिए एक वर्ष का बड़े फार्म पर कृषि फसलों की रखवाली का अनुभव होना चाहिए।

सुरक्षा अधिकारी
कृते निदेशक

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरत्न कम्पनी)

केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर, जिला श्री गंगानगर(राज0) की समस्त चल-अचल

सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु नियम व शर्तें।

1. यह कि ठेकेदार ठेके पर लिये गये फार्म क्षेत्र में विद्यमान समस्त चल-अचल सम्पत्तियों जैसे खड़ी फसलें पड़े पेड़ पौधे लकड़ी ट्यूबेल इंजन मोटर तार खेतों में बने मकान हेड पम्प आदि जो हैं जहाँ हैं जैसे हैं के अनुसार दिन व रात्री लगातार आंतरिक एवं बाहरी व्यक्तियों तथा पालतू व जंगली जानवरों से सुरक्षा करेगा।
2. यह कि सुरक्षा कार्य में दक्ष सुरक्षा रक्षकों को कार्य पर लगायेगा तथा पूर्ण सुरक्षा सामग्री जैसे सीटी लाठी रात्री के लिये टार्च आदि की व्यवस्था ठेकेदार अनिवार्य रूप से करेगा। ठेकेदार द्वारा लगाए गए अपने कर्मियों को पहचान पत्र देगा जोकि कर्मियों के ड्यूटी के दौरान दृष्टीय रूप से लगाना होगा।
3. यह कि ठेकेदार व उसके सुरक्षा रक्षकों सम्बंधित खण्ड /चक के प्रभारी व सुरक्षा अधिकारी के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में सुरक्षा कार्य सही समय व सुचारु रूप से करेगा।
4. यह कि ठेकेदार को सुरक्षा की दृष्टि से समस्त बिन्दुओं जैसे पम्पों ट्यूबेल तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्रों पर तीनों पारियों में सुरक्षा रक्षक रखने आवश्यक होंगे।
5. यह कि ठेकेदार द्वारा सुरक्षा कार्य समय व सुचारु रूप से पूरा नहीं करने, फार्म का किसी प्रकार का नुकसान होने पर, शिथिलता /असफलता – अनियमितता की दशा में नुकसान की क्षतिपूर्ति ठेकेदार से की जायेगी और यदि आवश्यक हुआ तो ठेका निरस्त किया जायेगा और ठेकेदार के लम्बित भुगतान सहित जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी ठेकेदार की असफलता पर यही कार्य फार्म अपने स्तर पर पीसरेट वर्कर लगाकर या किसी अन्य से करायेगा, जिसका भुगतान फार्म सीधे पीस रेट वर्कर को करेगा तथा उक्त भुगतान की राशि ठेकेदार के बिलों से काट ली जायेगी इसमें जो अतिरिक्त खर्चा आयेगा उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार से की जायेगी।
6. यह कि सुरक्षा कार्य के दौरान ठेकेदार के सुरक्षा कर्मी को किसी प्रकार की दुर्घटना चोट सर्प डंस जंगली जानवरों द्वारा नुकसान आदि होने पर सुरक्षा ठेकेदार पूर्णतयः जिम्मेदार होगा।
7. यह कि ठेकेदार या उसका प्रतिनिधी व श्रमिक फार्म की किसी सम्पत्ति को न तो कोई नुकसान पहुँचायेगे और न ही उसका उपयोग करेंगे। किसी प्रकार से नुकसान व अनियमितता में लिप्त पाये जाने पर सुरक्षा कर्मी के प्रति कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए उसका नाम काली सूची में डाल दिया जायेगा और हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति ठेकेदार से की जायेगी।
8. यह कि सुरक्षा ठेकेदार उसका प्रतिनिधी एवं उसके सुरक्षा कर्मी पर्यावरण-जल-जीव जन्तुओं जंगली जानवरों व मोर तीतर आदि पक्षियों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करेंगे। उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचायेगे।
9. यह कि ठेकेदार अपराधिक, शराबी, संदिग्ध एवं फार्म की काली सूची में आये व्यक्तियों को कार्य पर नहीं लगायेगा तथा कार्य स्थल पर बीड़ी-सिगरेट या अन्य कोई नशीली चीजों का प्रयोग करना पूर्ण वर्जित होगा।
10. यह कि ठेकेदार एवं उसके सुरक्षा कर्मी फार्म के किसी कर्मचारी अधिकारी से अभद्रता एवं अशिष्टता का व्यवहार नहीं करेंगे झगडा आदि करने पर ठेका निरस्त कर धरोहर राशि जप्त कर ली जायेगी।
11. यह कि ठेकेदार के बिलों का भुगतान खण्ड के मुख्य प्रहरी एवं सुरक्षा अधिकारी के संतोषजनक प्रमाणन पर लेखानुभाग द्वारा उपलब्ध धन के आधार पर बाजूवाला स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा पर देय चेक द्वारा दिया जायेगा है।
12. यह कि ठेकेदार व उसके समस्त सुरक्षाकर्मी फार्म के समस्त आदेशों के साथ सुरक्षा नियमों का पालन कडाई से करेंगे।
13. यह कि ठेकेदार अपने सुरक्षा कर्मियों को समस्त हित-लाभ प्रदान करेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित न्यूनतम मजदूरी देनी होगी जिसका रिकॉर्ड भी रखन होगा आवश्यकता पडने पर फार्म अधिकारियों को उपलब्ध करवाना होगा। नाबालिक सुरक्षाकर्मी नहीं लगायेगा अन्यथा पूर्ण जिम्मेदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी।
14. यह कि उसका प्रतिनिधि तथा सुरक्षाकर्मी किसी प्रकार के फार्म उत्पादो जैसे पेड़-पौधे, लकड़ी, दवा, रसायनिक खाद-सामग्री, डीजल, फार्म मिटटी आदि बिना गेट पास व पर्याप्त कागजात के बाहर नहीं ले जाने देगा और न ही खुद ले जायेगा और सख्त सुरक्षा सेवा उपलब्ध करायेगा।
15. यह कि ठेकेदार के नाम से ठेका हो जाने के बाद उस निर्धारित अवधि तक किसी दूसरे व्यक्ति को ठेके का कार्य हस्तांतरित नहीं करेगा अगर ठेकेदार ऐसा करता है तो तुरन्त प्रभाव से ठेका निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
16. यह कि ठेकेदार द्वारा कार्य शुरू करने के बाद वह किसी भी प्रकार की लापरवाही करता है या खण्ड प्रभारी सुरक्षा अधिकारी के दिशा निर्देशानुसार सुरक्षा कार्य नहीं करता है मौखिक व लिखित नोटिस देने के बाद भी सुरक्षा कार्य को सही ढंग से नहीं करता है तो फार्म प्रशासन के पास यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार का ठेका निरस्त करते हुए ठेकेदार का नाम काली सूची में डाल कर ठेकेदार द्वारा जमा की गई धरोहर राशि जब्त कर लें।

- 17 यह कि ठेकेदार आवंटित फार्म क्षेत्र में संदिग्ध आपराधिक व्यक्तियों, वाहनों के प्रवेश को पूर्ण प्रतिबंधित करेगा फिर भी यदि आवंटित परिक्षेत्र में किसी प्रकार की अवांछनीय घटना घटित होती है तो सुरक्षा ठेकेदार पूर्ण उत्तरदायी होगा।
- 18 यह कि किसी प्रकार का फार्म के आवंटित क्षेत्र में यदि कोई नुकसान होता है तो सुरक्षा ठेकेदार को सूचित किया जायेगा और गठित की गई समिति के साथ निरक्षण सत्यापन व क्षतिपूर्ति आंकलन के समय ठेकेदार या उसका नामित प्रतिनिधि को उपस्थित रहना होगा। यदि ठेकेदार या उसका प्रतिनिधि उक्त समय नहीं पहुंचेगा तो अन्ततः समिति द्वारा नुकसान का आंकलन किया जायेगा। उसकी क्षतिपूर्ति के लिए ठेकेदार बाध्य होगा।
- 19 यह कि गोदा व अवारा पशुओं व रोजडों के भागने दौड़ने, लडने से होने वाले नुकसान के लिए ठेकेदार को जिम्मेदार नहीं माना जायेगा लेकिन खायी हुई फसल को ही ठेकेदार की लापरवाही मानकर उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार से की जायेगी।
- 20 फार्म की सुरक्षा करते समय यदि ठेकेदार का किसी बाहरी व्यक्ति आदि से झगडा होता है तो ठेकेदार ही उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बंधित थाने में दर्ज करवायेगा तथा इसकी सूचना फार्म प्रशासन को देगा। अपने खर्च पर ठेकेदार स्वयं मुकदमा लडेगा।
- 21 यह कि ठेकेदार यदि बीच में सुरक्षा का कार्य छोडता है तो उसका कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और धरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी।
- 22 ठेकेदार को निविदा लेने से पूर्व धरोहर राशि 50000.00 (पचास हजार रुपये का) डिमाण्ड डॉफ्ट जोकि राष्ट्रीय बीज निगम जैतसर (National Seeds Corporation Limited, Jetsar) के नाम से भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला (State Bank of India, Bajuwala) देय हो निविदा प्रपत्र के साथ सलंगन करना होगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।
- 23 यह कि सुरक्षा ठेकेदार के पास आयकर विभाग का पेन कार्ड नम्बर होना जरूरी है। ठेकेदार को देय भुगतान पर नियमानुसार टी.डी.एस एवं अन्य यदि कोई टैक्स हो तो वह उसके भुगतान में से काट लिया जायेगा।
- 24 यह कि ठेका होने के बाद ठेकेदार एक सौ रुपये के स्टाम्प पर उपरोक्त शर्तों को लिखवाकर पढ कर हस्ताक्षर करेगा जिसकी मूल प्रति सुरक्षा अनुभाग में जमा करानी होगी।
- 25 यह कि किसी षडयंत्र, ट्रेड यूनियन की हडताल भीड/बलबा द्वारा फार्म उत्पाद की क्षति व शस्त्र डकैती की स्थिति में सुरक्षा ठेकेदार की पूर्णरूप से जिम्मेदारी होगी।
- 26 एक वर्ष का बडें फार्म पर कृषि फसलो की रखवाली का अनुभव होना चाहिए।
- 27 यह है कि प्रतिमाह ठेकेदार के बिलों से 5% E.M.D (अरनेस्ट मनी) जमा कर ली जायेगी जो कि कार्य के संतोषजनक होने पर बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।
- 28 टेण्डर फार्म 114.00 रुपये नकद जमा करवाकर सुरक्षा कार्यालय से प्राप्त करना होगा।
- 29 निदेशक महोदय को, बिना कोई कारण बताये, सुरक्षा ठेके को रदद करने का पूरा अधिकार होगा।
- 30 यह कि ठेकेदार उसके प्रतिनिधि व उसके सुरक्षा कर्मियों एवं फार्म के मध्य उत्पन्न किसी प्रकार के विवाद का मामला माननीय अध्यक्ष-सह-प्रबन्धक निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-12 को भेजा जायेगा उनका या उनके द्वारा नामित किसी भी व्यक्ति का निर्णय अन्तिम व दोनो पक्षों पर बाध्यकारी होगा। न्यायालय में जाने से पूर्व आवीटेशन एक्ट के तहत आपसी सुलह की कार्रवाई करना जरूरी होगा। सम्पूर्ण न्यायिक विवाद का क्षेत्र के 0 रा0 फा0 जैतसर जिला श्री गंगानगर का न्यायालय क्षेत्र ही होगा।
31. ऐसा कोई भी व्यक्ति सुरक्षा ठेके में भाग नहीं ले सकेगा जो पूर्व में कभी भी निगम के किसी भी फार्म में फार्म विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित रहा हा अथवा ब्लैक-लिस्टेड हो।
32. चंकि फार्म की फसलों एवं सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु ठेकेदार का स्वयं फार्म में उपस्थित रहना नितान्त आवश्यक है अतः सुरक्षा ठेकेदार अपने युनिट में खुद उपस्थित रह कर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करेगा व समय-2 पर फार्म के सुरक्षा अधिकारी द्वारा बताए गए निर्देशो का अनुपालन करेगा।
33. सुरक्षा ठेकेदार की जिम्मेवारी होगी कि वह फार्म क्षेत्र में पाए गए आवारा पशुओ को सम्बन्धित खण्ड के पशु फाटक में सुरक्षित लाकर बन्द करें। इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी पशु नील गाय भेड-बकरी इत्यादि को किसी भी प्रकार की

क्षति पहुँचनी नहीं चाहिए। आवारा पशुओं को फार्म क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबन्धित करने बाबत जो भी संवेदनशील जगहों, जिनकी जानकारी सुरक्षा अधिकारी द्वारा समय-2 पर दी जायेगी पर चौकीदारों को नियुक्त करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। चौकीदार नियुक्त न करने की स्थिति में सुरक्षा ठेकेदार के मासिक बिल में से रुपये 100/-प्रतिचक्र प्रतिदिन के हिसाब से बिना किसी नोटिस को दिए कटौती की जायेगी।

क्रमशः तीन पर.....

.....3.....

34. सुरक्षा ठेकेदार को फार्म की सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु विभिन्न चकों जिनकी जानकारी समय-2 पर फार्म के सुरक्षा अधिकारी द्वारा दी जायेगी पर आवश्यकतानुसार सुरक्षाकर्मी तैनात करने होंगे। सुरक्षा ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि जहाँ भी उसके चौकीदार की ड्यूटी लगाई जाती है वह दूसरा चौकीदार आने पर ही अपने चक्र से जायेगा। ठेकेदार के किसी भी चौकीदार या सुपरवाइजर इत्यादि अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करेगा एवं सुनिश्चित करेगा कि फार्म में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना फार्म विरोधी या गैर कानूनी कृत्य में सम्मिलित नहीं होंगे तथा फार्म अधिकारी अथवा कर्मचारी के साथ किसी भी तरह का अश्रम व्यवहार नहीं करेगा अन्यथा उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।
35. अन्य बातों के अलावा सुरक्षा का ठेका उसी व्यक्ति दिया जायेगा जिसका चाल-चलन सही पाया जायेगा व जो विश्वसनीय होगा। सुरक्षा ठेकेदार किसी भी फार्म कर्मचारी का रिश्तेदार व सम्बन्धी नहीं होना चाहिए। सुरक्षा ठेकेदार स्वयं व उसके द्वारा लगाए गए चौकीदार अथवा सुपरवाइजर फार्म के किसी भी कर्मचारी से किसी भी प्रकार का कोई झगडा नहीं करेंगे। कोई विवाद होने की स्थिति में वे उसकी रिपोर्ट फार्म के सुरक्षा अधिकारी को देंगे।
36. सुरक्षा ठेकेदार को ठेके की राशि का भुगतान मासिक आधार पर किया जायेगा। किसी भी प्रकार का टैक्स, जो कि नियमानुसार देय हो, ठेकेदार के बिल में से काट लिया जायेगा।
37. सुरक्षा ठेकेदार को अपने द्वारा लगाए गए कर्मियों के मामले में समस्त श्रम कानूनों का पालन करना होगा। स्वयं अथवा उसके द्वारा नियोजित किसी भी सुरक्षा कर्मी/श्रमिक की दुर्घटना की होने की स्थिति में फार्म प्रबन्धन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
38. अनुबन्ध हेतु नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी अथवा स्टाम्प पेपर का शुल्क भी ठेकेदार को वहन करना होगा। मूल अनुबंधक फार्म के पास रहेगा तथा सत्यापित प्रतिलिपि ठेकेदार को दी जायेगी।
39. यदि ठेकेदार का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो एक सप्ताह का नोटिस देकर उसका ठेका निरस्त कर सुरक्षा कार्य किसी भी अन्य व्यक्ति से कराया जा सकता है और उसके द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति राशि जब की जा सकती है।
40. ठेकेदार का फार्म प्रबन्धक द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में समय-2 पर जारी आदेशों के अनुसार कार्य करना होगा।
41. ठेकेदार द्वारा उपरोक्त किसी भी नियम व शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में ठेका फार्म प्रबन्धक द्वारा निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
42. सुरक्षा ठेकेदार को जरूरत के हिसाब से सुरक्षा कार्य करते वक्त घोड़े, मोटर साईकिल एवं ट्रैक्टर जीप आदि रखेगा।

सुरक्षा अधिकारी